बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 30/11/17

संख्या– 1/श्रम वि0ई0–8–80–11/2012.......184....../ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, एतद्द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा पदाधिकारियों की भर्त्ती एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

अध्याय–1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। – (1) यह नियमावली ''बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ । – जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में
(i) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
(ii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग;
(iii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
(iv) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है राज्यपाल, बिहार;
(v) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग;
(vi) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से इस संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत सभी व्यक्ति;
(vii) ''मान्यता प्राप्त'' से अभिप्रेत है सरकार और मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त।

3. संवर्ग का गठन। – (1) बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग में निम्नलिखित दो उपसंवर्ग होगें :–
(क) सामान्य कर्त्तव्य उप–संवर्ग, तथा
(ख) विशेषज्ञ उपसंवर्ग
(2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा और इस संवर्ग के चिकित्सक सरकार के अधीन किसी भी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय/अस्पताल में पदस्थापित एवं स्थानान्तरित किये जा सकेंगे।
(3) इस संवर्ग के सदस्य राजपत्रित पदाधिकारी होगें।

4. प्राधिकृत बल। – इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय–समय पर, स्वीकृत की जाय।

5. पद सोपान। – इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ एवं पद सोपान निम्नवत होंगे :–

बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग का पद सोपान

(1) सामान्य कर्तव्य उपसंवर्ग –

(i) सामान्य कर्तव्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	–	मूल कोटि
(ii) प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	–	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(iii) उपनिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/ उपाधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय/अस्पताल	–	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

(2) विशेषज्ञ उपसंवर्ग –

(i) विशेषज्ञ ग्रेड II बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	–	मूल कोटि
(ii) विशेषज्ञ ग्रेड I बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	–	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(iii) वरीय विशेषज्ञ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	–	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

(319)

(3) संयुक्त प्रशासनिक पद –

(i) अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी (मुजफ्फरपुर/फुलवारीशरीफ)/संयुक्त निदेशक चिकित्सा सेवाएं, कर्मचारी राज्य बीमा योजना – तृतीय प्रोन्नति स्तर

(ii) निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना – चतुर्थ प्रोन्नति स्तर

(4) उपर्युक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा, समय–समय पर, अवधारित किया जायेगा।

(5) इस संवर्ग में उल्लिखत पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत (प्रतिनियुक्त को छोड़कर) कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

अध्याय–2 : भर्त्ती

6. भर्त्ती।

इस संवर्ग में मूल कोटि (सामान्य कर्त्तव्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ ग्रेड II बीमा चिकित्सा पदाधिकारी) के पद पर सीधी भर्त्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

7. अर्हताएँ। – (1) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग में नियुक्ति के लिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की डिग्री होगी:

परन्तु चिकित्सा विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्रीधारकों एवं किसी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों को, उनके कार्यानुभव के लिए, अधिमानता दी जा सकेगी।

(2) विशेषज्ञ उपसंवर्ग में नियुक्ति के लिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होगी:

परन्तु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री से उच्चतर डिग्रीधारकों एवं सरकारी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त स्नातकोत्तर डिग्रीधारक चिकित्सकों को, उनके कार्यानुभव के लिए, अधिमानता दी जा सकेगी।

(3) अभ्यर्थी को मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया तथा किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से निबंधित होना आवश्यक होगा।

(4) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशाासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1 ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

8. भर्त्ती की प्रक्रिया । – (1) विभाग, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और शैक्षणिक अर्हता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(3) शैक्षणिक अर्हता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के लिए अंकों का अवधारण निम्नानुसार होगा :–

(क) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग (सामान्य कर्त्तव्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी) :–

(i) एम0बी0बी0एस0 में प्राप्तांक के लिए – 50 अंक

(ii) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री के लिए – 10 अंक

(iii) सरकारी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के उपरांत कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) – 25 अंक

(iv) साक्षात्कार के लिए – 15 अंक

कुल 100 अंक

(ख) विशेषज्ञ उपसंवर्ग (विशेषज्ञ ग्रेड II बीमा चिकित्सा पदाधिकारी) :–

(i) स्नातकोत्तर में प्राप्तांक के लिए – 50 अंक

(ii) स्नातकोत्तर से उच्चतर डिग्री, यथा डी0एम0,एम0सी0एच0 एवं समकक्ष डिग्री के लिए – 10 अंक (मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त)

सरकारी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त स्नातकोत्तर डिग्रीधारक चिकित्सकों को कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष के अनुभव के लिए– 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) – 25 अंक

(iv) साक्षात्कार के लिए – 15 अंक

कुल 100 अंक

टिप्पणी– (i) एम0बी0बी0 एस0 परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जानेवाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 X 0.5 =25 अंक दिये जायेगें।

(ii) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग एवं विशेषज्ञ उपसवंर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 होगी।

(4) साक्षात्कार की प्रक्रिया का अवधारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

(5) उपनियम (3) के आधार पर आयोग मेधासूची तैयार करेगा। मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग विभाग के सहयोग से, अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जांच एवं स्वास्थ्य जांच करायेगा तथा तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा सूची विभाग को भेजी जायेगी। विभाग के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात्, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(6) आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय–3 : परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

9. परिवीक्षा अवधि। – नयी नियुक्ति परिवीक्षा के अधीन होगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो ऐसे सामान्य कर्त्तव्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ ग्रेड II बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकेगी।

10. प्रशिक्षण। – परिवीक्षाधीन सामान्य कर्तव्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ ग्रेड II बीमा चिकित्सा पदाधिकारी को परिवीक्षा अवधि में कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

11. विभागीय परीक्षा। – (1) सामान्य कर्त्तव्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ ग्रेड II बीमा चिकित्सा पदाधिकारी को राजस्व पर्षद (केन्द्रीय परीक्षा समिति) द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में, रूल्स फॉर डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेशन ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स, 1961 के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुरूप उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के एक वर्ष पूरा होने अथवा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर (जो भी पहले हो) विहित तिथि के प्रभाव से, प्रथम वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी :

परन्तु यह कि प्रथम वेतनवृद्धि के बाद द्वितीय वेतनवृद्धि तबतक अनुमान्य नहीं होगी, जबतक विभागीय परीक्षा में अपेक्षित स्तर की उत्तीर्णता पूर्णतः प्राप्त नहीं कर ली जाती :

परन्तु यह भी कि विभागीय परीक्षा में उतीर्णता पूर्णतः प्राप्त कर लेने के पश्चात् रोकी गयी वेतनवृद्धि अनुमान्य हो जायेगी। परन्तु रोकी गयी वेतनवृद्धि का बकाया भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। एतदर्थ विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि, अंतिम पत्र की परीक्षा की तिथि का अगला दिन माना जायेगा।

12. सम्पुष्टि। – परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने और विभागीय परीक्षा पूर्णतः उत्तीर्ण करने पर हीं सामान्य कर्तव्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ ग्रेड II बीमा चिकित्सा पदाधिकारी को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

13. वरीयता। – सामान्य कर्तव्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ ग्रेड II बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की आपसी वरीयता, आयोग के द्वारा अंतिम रूप से अवधारित मेधासूची के अनुसार, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से इस संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की निर्धारित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

317

अध्याय 4 : प्रोन्नति

14. डायेनेमिक ए0सी0पी0। – बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग के सम्पुष्ट पदाधिकारियों को नियमानुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय डायेनेमिक ए0सी0पी0 अनुमान्य होगा।

15. प्रोन्नति । – (1) इस संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

(2) प्रोन्नति के लिए कालावधि एवं अन्य अर्हताएँ वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

16. आरक्षण। – संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अवधारित आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

17. अवशिष्ट मामले। – इस नियमावली में जिन विषयों के संबंध में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके लिए सरकार के समकक्ष स्तर कर्मियों एवं पदाधिकारियों के लिए लागू संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होगें।

18. निर्वचन। – यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

19. कठिनाई का निराकरण। – यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को अधिसूचना द्वारा, जो नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

20. सेवाकालीन प्रशिक्षण। – संवर्ग के सदस्यों को विभाग द्वारा समय–समय पर यथाअपेक्षित एवं अवधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति। – (1) इस संवर्ग के संबंध में, विभाग द्वारा पूर्व में, समय–समय पर, निर्गत नियमावली, संकल्प, अनुदेश, आदेश एवं विनियमावली आदि एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली, संकल्प, अनुदेश, आदेश विनियमावली आदि के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कुछ भी किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1/श्रम वि0ई0–8–80–11/2012 184 /पटना–01, दिनांक– 30|11|17

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1/श्रम वि0ई0–8–80–11/2012 184 /पटना–01, दिनांक– 30|11|17

प्रतिलिपि– महालेखाकार बिहार, पटना/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-30/11/17

संख्या– 1/श्रम वि0ई0–8–80–11/2012....185........../अधिसूचना सं0.....184......... दिनांक–...30/11/17...का निम्नालिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

BIHAR GOVERNMENT
Labour Resources Department
Notification

Patna-1, dated..30/11/17....

No.-1/Shram Vi.E.-8-80-11/2012.......184......../ In exercise of the powers conferred by provision under Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for the regulation of the recruitment and condition of services of Medical officers under Employees state Insurance scheme, Labour Resources Department, Bihar :-

Chapter- 1 Preliminary

1. **Short title, extent and commencement-** (i) These rules may be called the Bihar Employees State Insurance Medical officers Cadre Rules, 2017.
   (ii) It shall extend to the entire State of Bihar.
   (iii) It shall come into force at once.
2. **Definitions** – In these Rules unless otherwise requires in the context –
   (a) "Government" means the State Government of Bihar;
   (b) "Department" means the Labour Resources Department, Bihar;
   (c) "Commission" means Bihar Public Service Commission;
   (d) "Appointing authority" means Governor of Bihar;
   (e) "Cadre" means Bihar Employees state Insurance Medical officers Cadre;
   (f) "Members of Cadre" means any person appointed in the Bihar Employees state Insurance Medical officers Cadre, and all persons appointed and working in this Cadre before implementation of these rules;
   (g) "Recognized" means recognized by Government and Medical council of India.
3. **Cadre formation** (1) In Bihar Employees State Insurance Medical officers Cadre The following two Sub cadres:-
   (a) General duty Medical officers sub cadre and.
   (b) Specialist Medical officers sub cadre.
   2. It will be state level cadre and Medical officer of this cadre may be posted or transferred to any State Insurance dispensary / Hospital under the Government of Bihar.
   3. Members of this cadre will be gazetted officer.

(315)

4. Authorised strength

Number of posts in each category and total number of posts in this Cadre will be Such as may be sanctioned by the government from time to time.

5. Chain of posts

Chain of different categories and chain of post in this cadre shall be follows:-

(1) General duty sub cadre :-

(i) General duty insurance Medical officer – Basic category.

(ii) Insurance Medical officer in charge – First promotional level.

(iii) Dy Director ESI / Dy Superintendent ESI dispensary / Hospital - Second promotional level.

(2) Specialist sub cadre –

(i) Specialist Grade II insurance Medical officer – Basic category.

(ii) Specialist Grade I Insurance Medical officer – First promotional level.

(iii) Senior Specialist Insurance Medical officer - Second promotional level.

(3) Joint Administrative post –

(i) Superintendent ESI Hospital / Regional Administrative officer (Muzaffarpur / Phulwari sharif) / Joint Director Medical services ESI - Third promotional level.

(ii) Director Medical services ESI - Fourth promotional level.

(4) Pay scale of the above posts will be the same may be determined by the Finance department of the State Government from time to time.

(5) Persons Appointed/Promoted and working (excluding deputed) to posts mentioned in the cadre before come in to force of these rules will be automatically included in this cadre.

Chapter – 2 Recruitment

6. Recruitment :-

To the posts of General duty insurance Medical officer, Specialist Grade II Insurance Medical officer Direct appointment may be made on the basis of recommendation of the commission by direct recruitment.

7. Qualifications :-(1) For the appointment in general duty sub cadre, minimum educational Qualification will be M.B.B.S degree from any recognized university: Provided that Weightage will be given to post-graduate degree or higher degree holder in the field of medical sciences and to the Doctors appointed Regular/contractual basis in government hospital for their work experience.

(2) For the appointment in specialist sub cadre, minimum educational Qualification will be post graduate degree in the same subject from any recognized University: Provided that Weightage will be given to higher holder than post graduate degree holder in the same subject and to post graduate degree holder appointed Regular/contractual basis in the government hospital for their work experience.

(3) It will be compulsory for the candidates to be registered by the Medical council of India and any Medical Registration council of any state.

(4) Maximum age limit for the appointment will same as may be determined reservation category wise by the General Administrative department from time to time. For age determination 1st August of related year will be deemed to be cut off date.

8. **Procedure of appointment**

(1) Department will calculate number of vacancies on the basis of 1st April every Year and after getting roster cleared category wise vacancies requisition will be send to Commission by 30th April.

(2) In view of the requisition the Commission will by advertising the vacancies invite applications and will select candidates on the basis of educational qualification, work experience and interview.

(3) Determination of marks for educational qualification, work experience and Interview will be according to following :-

(a) General duty sub cadre (General duty insurance Medical officer)

(i) For marks obtained in M.B.B.S -	**50 marks**
(ii) For post graduate or higher degree recognized by medical council of India	**10 marks**
(iii) For work experience to the doctors holding post graduate degree and appointed Regular/contract basis in the Government hospitals (For experience of complete one year 5 marks, maximum 25 marks) -	**25 marks**
(iv) For interview -	**15 marks**
	Total – 100 marks

(b) Specialist sub cadre (Specialist grade II Insurance Medical officer

(i) For marks obtained in Post graduate degree -	**50 marks**
(ii) For degree higher than post graduate degree like D.M, MCH and equivalent (Recognized by MCI)	**10 marks**
(iii) For work experience to the doctors holding post graduate degree and appointed Regular/contract basis in the Government hospitals (For experience of complete one year 5 marks, maximum 25 marks) -	**25 marks**
(iv) For interview -	**15 marks**
	Total – 100 marks

Note – (i) Determination of marks to be given to any candidate for M.B.B.S will be by multiplying 0.5 to the total percentage of marks obtained in the examination of the said course. Example- if a candidate has obtained 50% marks he will be given 50 x 0.5 = 25 marks.

(ii) For appointment in General duty sub cadre and Specialist sub cadre Minimum qualifying marks for consideration will be 30.

(4) Procedure of interview will be determined by the Commission.

(5) On the basis of the sub rule (3) the Commission will prepare merit list. The Commission, with help of the Department will get done primary examination of Certificates of the candidates and health examination and there after send the reservation categories wise final recommendation list according to the requisitioned vacancies to the department. At the department level certificates will also be examined and antecedents of the recommended candidate will be verified.

(313)

(6) It will be compulsory to follow the instructions issued from time to time in respect of the Appointment procedure after recommendation of the Commission.

Chapter – 3 Probation/Departmental examinations and training/Confirmation

9 Probation period

New appointment will be under probation, probation period will be of two years. If service is not found satisfactory with reasons to be recorded, probation period may be extended for one more year. If service still is not found satisfactory in extended period, services of such General duty insurance Medical officers / Specialist Grade II insurance Medical officers may be terminated.

10 Training

It will be compulsory for Probationer General duty insurance Medical officers and Specialist Grade II Insurance Medical officers to obtain Treasury training in the probation period.

11 Departmental examinations

(I) General duty insurance Medical officers and Specialist Grade II insurance Medical officers will have to pass the Departmental Examinations held by Board of revenue, Bihar, Patna (central examination committee). It will be Compulsory to pass the Departmental examinations in the view of the rules for Departmental examinations of Gazetted officers 1961, in continuity syllabus for the Bihar health services.

(2) First pay increment is admissible on completion of one year of probation Period or passing the Departmental Examinations whichever is earlier. Provided that second pay increment will not be admissible till the passing of the required level of Departmental examinations.

Provided further that passing the required level of the Departmental Examinations completely, with held up pay increment will be admissible but arrear of with held up increments will not be payable. Next day of the date of examination of the last paper will be treated as the date of passing of the Departmental Examination for this purpose.

12 Confirmation

Confirmation of service of the General duty insurance Medical officers and Specialist Grade II insurance Medical officers will be confirmed in the service only after the completion of satisfactory services during probation, getting treasury training and passing the Departmental Examinations completely.

13 Seniority

Inter-se-Seniority of the General duty insurance Medical officers and Specialist Grade II Insurance Medical officers will be determined to the final merit list determine finally by the commission:

Provided that the determined inter-se- seniority of Insurance Medical officers already appointed and working in this cadre before come in to force of this Rules will remain unchangeable.

Chapter – 4 Promotion

14 **Dynamic A.C.P** :-

First, second and third Dynamic A.C.P are admissible as per rules to the Medical officers coinfirmed in services of Bihar Employees State Insurance Medical officers Cadre.

15 **Promotion**

(i) Departmental promotion to the promotional posts may be given on basis of recommendation of Departmental promotion committee.

(ii) Kalawadhi and other conditions of promotion will be same as may be determined by the state government from time to time.

Chapter – 5 Miscellaneous

16 **Reservation**

Provision of reservation roster as determined by the state Government from time to time for appointment and promotion to the different posts of the cadre will be applicable.

17 **Residual cases**

In respect such Subjects for which provision have not been made in these Rules, provision of the codes/ Rules /Resolution/Instructions applicable to the Equivalent employees and officers to the Government will apply for them.

18 **Interpretation** :

If there is any difficulty in interpretation of any provision of these Rules it will be referred to the department and the decision of the department in this respect will be final after consultation with the Law Department.

19 **Removal of difficulties**

If any difficulty arises in implementation of the provision these Rules Department has power to remove such difficulty by notification which is not inconsistent to the provision of these rules.

20 **Training during service**

Member of this cadre will have to get training during the service as required and determined by the department from time to time.

21 **Repeal and Savings** –

(1)Rules and regulations/Resolutions/Instructions and orders related to this cadre already issued by the department from time to time are here by repealed.

(2) Not withstanding such Repeal anything done or any action taken the said Rules regulations/Resolutions/Instructions and orders will be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were enforced on the date on which such thing was done or such action was taken.

By Order of the Governor of Bihar

20/11/17

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to the Government

(311)

Memo No. -1/Shram Vi.E.-8-80-11/2012...184...../ Patna-1, dated.30/11/17

Copy forwarded to – Superintendent, Government press, Gulzarbag, Patna for publishing this in next extra ordinary Bihar gazette.

Sd/- 30/11/17

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to the Government

Memo No. -1/Shram Vi.E.-8-80-11/2012...184...../ Patna-1, dated.30/11/17

Copy forwarded to – Accountant General, Bihar, Patna/PS to Hon'ble Minister, Labour Resources Department, Bihar, Patna /PPS to Principal Secretory, Labour Resources Department, Bihar, Patna/Director, medical Services, ESI,Bihar, Patna/ Director, Emploment and Training,Bihar, Patna/ Labour commissioner,Bihar, Patna for Information and necessary action.

Sd/- 30/11/17

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to the Government